न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27/2020
RCMS Reg. No. 2020/00029

प्रार्थी आवेदक :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री रामबाबु शर्मा जाति ब्राह्मण विक्रेता मैसर्स सरस्वती किराणा एण्ड जनरल स्टोर, उदयपुर रोड, माही कोलोनी के सामने बॉसवाडा (राजस्थान)
2. श्री संदिप शर्मा पुत्र श्री रामबाबु शर्मा जाति ब्राह्मण विक्रेता मैसर्स सरस्वती किराणा एण्ड जनरल स्टोर, उदयपुर रोड, माही कोलोनी के सामने बॉसवाडा (राजस्थान)
3. श्री सुनिल कुमार पालीवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र पालीवाल जाति पालीवाल विक्रेता मैसर्स सुनिल ब्रदर्स, कम्युनिटी हॉल के सामने हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा (राजस्थान)
4. श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री उत्तम चन्द जैन मालिक मैसर्स तिरुपति एन्टरप्राईजेज 245 उषा नगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
5. श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री उत्तम चन्द जैन डायरेक्टर मैसर्स जैन बेकरी प्रा.लि., 3 आई.ओ.सी कम्पाउण्ड विलेज बैंक धार रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
6. श्री अंकित जैन पुत्र श्री इन्द्रमल जैन डायरेक्टर मैसर्स जैन बेकरी प्रा.लि., 3 आई.ओ.सी कम्पाउण्ड विलेज बैंक धार रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
7. मैसर्स जैन बेकरी प्रा.लि., 3 आई.ओ.सी कम्पाउण्ड विलेज बैंक धार रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 452001

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

श्री विष्णु शर्मा
श्री संदीप शर्मा
श्री सुनिल कुमार पालीवाल

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

निर्णय

दिनांक 21.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 08.07.2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 09–10–2019 को अप. 02.00 बजे बाहैसियत खाद्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.10.23 11:00:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स सरस्वती किराणा एण्ड जनरल स्टोर, उदयपुर रोड, माही कोलोनी के सामने बॉसवाडा पर पहुंचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर श्री विष्णु शर्मा उपस्थित थे, विक्रेता को खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019 का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) के 130 ग्राम के 20 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री हेतु पाये गये। इसमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) के 130 ग्राम वाले 8 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति मे फार्म नं. 5ए पर खरीदने की सूचना देते हुए उक्त Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) के 130 ग्राम वाले 8 पैकेट खरीदे तथा इनकी कीमत 120 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की।

नमूना जांच हेतु क्रय किये Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) के 130 ग्राम वाले 8 पैकेट पर फार्म नं. 5ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। विक्रेता ने मौके पर उक्त Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) की खरीद के संबंध में अग्रिम बिल प्रस्तुत किया। इन खरीद शुदा उक्त आठो पैकेट को खोलकर प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली जारो में भरकर (प्रत्येक जार में दो पैकेट Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) के भरकर प्रत्येक जार में 21 बुन्द फार्मलिन की डालकर, प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। प्रत्येक जार पर उक्त खाद्य पदार्थ के दो खाली रेपर लपेट दिये। चारो जारो पर विभाग के कोड व सिरीयल नं.W–543 जिस पर विवरण आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर करा स्वयं ने चिपकाया। प्रत्येक नमुना जार को मोटे व मजबुत कागज में लपेट कर, कागज के दोनों सिरों को सफाई से मोड़ कर गौंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार पर अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप W – 543 प्रत्येंक नमूना जार के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक सीलबन्द नमूना जार पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर किये गये एवं नमुना जारों को खाद्य निरीक्षक द्वारा अपने जाप्ते में लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5–ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढा कर, सुना कर एवं समझा स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. 487/Act/2019/ 506 दिनांक 18–10–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Special Rusk Rosted Bread

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.10.23 11:00:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(Jain's Trupti) CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(5)(i) Of the food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं धारा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा क्रमशः 52 एवं 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-07-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1,2,3 से सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 4,5,6,7 के सम्मन तामील – अदम तामील प्राप्त नही होने से दिनांक 19.08.2020 को पुनः सम्मन जारी किये।

दिनांक 21.10.2020 को आरोपी (विपक्षी) सं. 1,2,3 न्यायालय में उपस्थित हुए एवं आरोपी (विपक्षी) सं. 4,5,6,7 अनुपस्थित रहे और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। आरोपी (विपक्षी) सं. 4,5,6,7 अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रकरण में आरोपियो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। सुनवाई के दौरान आरोपी सं. 1,2,3 ने प्रथम अपराध होना बताते हुए दण्ड के विषय पर नरमी का रूख अपनाने निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(5)(i) Of the food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना होना पाया गया एवं धारा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना होना पाया गया एवं धारा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डड Special Rusk Rosted Bread (Jain's Trupti) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की क्रमशः धारा 52 एवं 51 में निर्धारित है। अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 51 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री विष्णु शर्मा विक्रेता मैसर्स सरस्वती किराणा एण्ड जनरल स्टोर बॉसवाडा को राशि रु. 10,000/–, श्री संदिप कुमार शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.10.23 11:00:20 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

विक्रेता मैसर्स सरस्वती किराणा एण्ड जनरल स्टोर बॉसवाडा को रु. 10,000/–, श्री सुनिल कुमार पालिवाल विक्रेता मैसर्स सुनिल ब्रदर्स बॉसवाडा को रु.20,000/–, श्री अरविन्द कुमार जैन मालिक मैसर्स तिरुपति एन्टरप्राईजेज इन्दौर (म.प्र) को रु.30000/–, श्री अरविन्द कुमार जैन डायरेक्टर मैसस जैन बेकरी प्रा.लि. इन्दौर (म.प्र),को रु.30,000/– श्री अंकित कुमार जैन डायरेक्टर मैसर्स जैन बेकरी प्रा.लि. इन्दौर (म.प्र) को 30,000/– एवं मैसर्स जैन बेकरी प्रा.लि. इन्दौर (म.प्र) को 30,000/– के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.10.23 11:00:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner